भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3565
24 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

अनाज के भण्डारण हेतु गोदामों की कमी

3565. श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश की कृषि मंडियों में किसान जब फसल लेकर जाता है तो उसके भण्डारण हेतु उचित व्यवस्था न होने से कई बार किसानों की फसलें बारिश से खराब हो जाती हैं;
(ख) क्या यह भी सच है कि अनाज के वितरण की ठोस नीति के अभाव के कारण अनाज के गोदामों में पिछले वर्ष का अनाज भरा रहता है और नई फसल के लिए गोदाम नहीं मिल पाता है;
(ग) मंडियो में खुले प्रांगण में रखने की वजह से गत पांच वर्षों के दौरान खराब हुए अनाज का ब्यौरा क्या है; और
(घ) गत पांच वर्षों के दौरान कितने खाद्य भण्डारण गोदामों का निर्माण हुआ है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): किसानों द्वारा लाए गए खाद्यान्न के उचित भंडारण सुविधाओं के अभाव में बारिश से क्षतिग्रस्त होने के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

खाद्यान्न भंडारण के दौरान होने वाले नुकसान की समस्या से निपटने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अपनाए जा रहे दिशानिर्देश **अनुबंध-I** में संलग्न हैं।

(ख): एफसीआई भंडारण क्षमता का निरंतर आकलन और निगरानी करता है और भंडारण अंतर आकलन के आधार पर भंडारण क्षमताएं निर्मित/किराए पर ली जाती हैं। एफसीआई में भंडारण क्षमता की आवश्यकता खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और मुख्य रूप से चावल और गेहूं के लिए पीडीएस संचालन पर निर्भर करती है।

...2/-

एफसीआई आवश्यकतानुसार सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी/राज्य एजेंसियों/निजी एजेंसियों से भंडारण क्षमता किराए पर लेती है, साथ ही मौजूदा क्षमताओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करती है। दिनांक 01.03.2026 की स्थिति के अनुसार, खाद्यान्न के केंद्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास 483.70 लाख टन और राज्य एजेंसियों के पास 463.40 लाख टन भंडारण क्षमता उपलब्ध है। इसके परिणामस्वरूप, खाद्यान्न के केंद्रीय स्टॉक के भंडारण के लिए कुल 947.10 लाख टन की कवर्ड क्षमता उपलब्ध है।

इसके अलावा, एफसीआई निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से अपनी भंडारण क्षमता बढ़ा रहा है:

क. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना
ख. निजी भांडागारण योजना (पीडब्ल्यूएस)
ग. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण
घ. सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना
ङ. केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस)
च. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के तहत साइलो का निर्माण

(ग): एफसीआई में बाजारों के खुले प्रांगण में भंडारण के कारण कोई खाद्यान्न खराब नहीं हुआ।

(घ): पिछले पांच वर्षों के दौरान, एफसीआई द्वारा 11 स्थानों पर कुल 78,100 टन भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया है और राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत 13 स्थानों पर 27,385 टन की क्षमता का निर्माण किया गया है।

इसके अलावा, पीईजी योजना के तहत पिछले पांच वर्षों में 44 स्थानों पर 4.42 लाख टन भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पिछले पांच वर्षों में 49 स्थानों पर 26.25 लाख टन क्षमता वाले साइलो का निर्माण किया गया है।

*****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 24.03.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं.3565 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

<u>भंडारण के दौरान खाद्यान्नों के नुकसान की समस्या से निपटने के लिए एजेंसियों द्वारा अपनाए गए दिशानिर्देश:</u>

क. वैज्ञानिक भंडारण संरचना का आवधिक रखरखाव।

एफसीआई का समर्पित इंजीनियरिंग प्रकोष्ठ सभी भंडारण संरचनाओं का आवधिक रखरखाव करता है

क) छत में सभी रिसाव बिंदुओं की पहचान और मरम्मत करना।
ख) मंडी/गोदाम परिसर में नालियों की सफाई सुनिश्चित करना।
ग) गोदामों/मंडी के अंदर पानी के रिसाव को रोकना ताकि पानी जमा न हो।
घ) मानसून शुरू होने से पहले सभी मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना।

ख. स्टॉक का वैज्ञानिक तरीके से भंडारण और संरक्षण।

i. खाद्यान्नों का भंडारण उचित वैज्ञानिक भंडारण पद्धतियों के अनुसार किया जाता है।

ii. फर्श से खाद्यान्नों में नमी को फैलने से रोकने के लिए लकड़ी के बक्से, बांस की चटाई, पॉलीथीन शीट जैसी पर्याप्त आवरण सामग्री का उपयोग किया जाता है।

iii. सभी गोदामों में अनाज के कीटों को नियंत्रित करने के लिए धूमन आवरण, नायलॉन की रस्सियाँ, जाल और कीटनाशक उपलब्ध कराए गए हैं।

iv. भंडारित अनाज के कीटों को नियंत्रित करने के लिए गोदामों में नियमित रूप से और समय पर निवारक (कीटनाशकों का छिड़काव) और उपचारात्मक उपचार (धुनीकरण) किए जाते हैं।

v. योग्य एवं प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्टॉक/गोदामों का नियमित आवधिक निरीक्षण किया जाता है। विभिन्न स्तरों पर जाँच और गहन जाँच की प्रणाली द्वारा नियमित अंतराल पर खाद्यान्नों की गुणवत्ता की निगरानी की जाती है।

vi. गोदामों में खाद्यान्नों के लंबे समय तक भंडारण से बचने के लिए, जहां तक संभव हो, "पहले आओ पहले जाओ" (एफआईएफओ) के सिद्धांत का पालन किया जाता है। हालांकि, असुरक्षित चबूतरों पर रखे गए और शिथिल विनिर्देशों के तहत खरीदे गए स्टॉक को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जाता है।

vii. स्टॉक की नियमित निगरानी करने और नुकसान को कम करने के लिए जिला, क्षेत्रीय और आंचलिक स्तर पर क्षति निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। नुकसान के प्रत्येक मामले की गहन जांच की जाती है और लापरवाही के मामलों में दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाती है।

*****